न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ़, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 112/2024

उनवान

1. स्वीटी मग्गन पत्नी नरेश कुमार जाति मग्गन नि0 मकान नं. 1 बी 4 चन्द्र शेखर आजाद नगर भीलवाडा ।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री राधेश्याम पुत्र गोपी कीर नि0 मंगरोप।
2. श्री प्यारचन्द पुत्र गोपी कीर नि0 मंगरोप।
3. श्री संजय पुत्र भैरू लाल सोमाणी नि0 मंगरोप।
4. श्री राजेश पुत्र भैरू लाल सोमाणी नि0 मंगरोप।
5. श्रीमती विमला पत्नी भैरू लाल सोमाणी नि0 मंगरोप।
6. श्रीमति मुरादबानु पत्नी पीरूदीन मंसूरी नि0 मंगरोप।
7. श्री रफीक मोहम्मद पुत्र रहीम बक्ष नि0 मंगरोप।
8. श्री नारायण उर्फ शम्भू लाल कुम्हार पिता पोखर कुम्हार नि0 मंगरोप।
9. श्री बाबू पुत्र मोहन कुम्हार नि0 मंगरोप।
10. श्री अम्बा लाल पुत्र खेमा कुमावत नि0 छोटा काबरा मंगरोप।
11. श्रीमति प्रेम देवी पत्नी मोती लाल कुमावत नि0 छोटा काबरा मंगरोप।
12. श्री संजू लाल पुत्र कैलाश कुमावत नि0 छोटा काबरा मंगरोप।
13. श्री पन्ना लाल पुत्र श्रवण कुमावत नि0 छोटा काबरा मंगरोप।
14. श्री रूपा पुत्र चुन्ना कुमावत नि0 छोटा काबरा मंगरोप।
15. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 03.09.2024

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राजस्थान भूॅ—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 08.07.2024 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि **ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप प्रथम भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 129 के आ.न. 1366 रकबा 0.3667 है0 आ.न. 1367 रकबा 0.5943है0, आ.न. 1367/1 रकबा 0.0126 है0, कुल किता 03 रकबा 0.9736 भूमि स्थित है।** वादग्रस्त भूमि विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 09.07.2024 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित । विपक्षी संख्या 01 लगायत 14 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner

—::आदेश::—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते है कि **ग्राम मंगरोप प0ह0 मंगरोप प्रथम भू0अ0नि0 मंगरोप तह0 हमीरगढ जिला भीलवाडा के खाता संख्या 129 के आ.न. 1366 रकबा 0.3667 है0 आ.न. 1367 रकबा 0.5943है0, आ.न. 1367/1 रकबा 0.0126 है0, कुल किता 03 रकबा 0.9736 भूमि स्थित है।** जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रकिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/—पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/—रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 03.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

(नेहा छीपा)
उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ जिला-भीलवाड़ा

Scanned with ACE Scanner